[2021] 8 एस. सी. आर 849

यतीन नरेंद्र ओझा

वी.

गुजरात का उच्च न्यायालय

(2020 की लिखित याचिका (सिविल) No.734)

28 अक्टूबर, 2021

[संजय किशन कौल और आर. सुभाष रेड्डी, जेजे।]

भारत का संविधान-कला। 32 , 142 - वरिष्ठ अधिवक्ता के गाउन को वापस लेना-याचिका यू/आर्ट। 32 - रखरखाव-याचिकाकर्ता पूर्व में नामित वरिष्ठ अधिवक्ता और बार के अध्यक्ष

गुजरात उच्च न्यायालय के संघ ने अतीत में न्यायाधीशों पर आक्षेप लगाए थे-आखिरकार, याचिकाकर्ता की माफी को एक वचन के साथ स्वीकार कर लिया गया-उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के खिलाफ बार के अध्यक्ष के रूप में फिर से गंभीर आरोप लगाए गए-अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई; वरिष्ठ के गाउन को वापस लेने के लिए नोटिस-माफी मांगी गई-वास्तविक नहीं पाया गया-वरिष्ठ के गाउन का विशेषाधिकार उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा सर्वसम्मति से वापस ले लिया गयाः मौलिक का कोई वास्तविक उल्लंघन नहीं है

याचिकाकर्ता के अधिकार-हालाँकि, याचिकाकर्ता को एक और और और अंतिम मौका दिया गया-याचिकाकर्ता का पदनाम अस्थायी रूप से दो साल के लिए 1.1.2022 से बहाल किया गया-यदि ऐसी अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के आचरण में कोई उल्लंघन होता है, तो उच्च न्यायालय दिए गए उक्त अनुग्रह को वापस ले सकता है-अधिवक्ता अधिनियम, 1961।

रिट याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. यह न्यायालय उच्च न्यायालय के विचारों का सम्मान करता है लेकिन फिर भी उच्च न्यायालय को एक और और अंतिम मौका देने का प्रयास करता है।

याचिकाकर्ता। एक तरह से यह वास्तव में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 का सहारा लेकर किया जा सकता है क्योंकि उच्च न्यायालय के वकील के इस तर्क में योग्यता है कि याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का कोई वास्तविक उल्लंघन नहीं है। 1.1.2022 से दो साल की अवधि के लिए याचिकाकर्ता के पदनाम को अस्थायी रूप से बहाल करने की मांग करके न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा। यह उच्च न्यायालय है जो देखेगा और सबसे अच्छा निर्णय ले सकता है कि कैसे याचिकाकर्ता एक वरिष्ठ वकील के रूप में व्यवहार करता है और खुद को संचालित करता है

बिना किसी और अवसर के। यह उच्च न्यायालय को अंतिम निर्णय लेना होगा कि उसका व्यवहार किस मामले में स्वीकार्य है या नहीं।

उच्च न्यायालय उनके पदनाम को जारी रखने का निर्णय ले सकता है

अस्थायी रूप से या इसे स्थायी रूप से पुनर्स्थापित करें। यदि दो साल की इस अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के आचरण में कोई उल्लंघन होता है, तो उच्च न्यायालय याचिका को वापस लेने के अपने अधिकारों के भीतर होगा।

अनुग्रह जो इस न्यायालय ने दो वर्षों के लिए दिया है, जो बदले में याचिकाकर्ता और उसके वकील द्वारा दिए गए आश्वासनों पर आधारित है, बिना कुछ दिए निर्दोष व्यवहार के लिए।

उच्च न्यायालय को उसके आचरण में दोष खोजने के लिए प्रेरित करें। [पारस 11,12] [854-बी-एफ]

यतीन नरेंद्र ओझा बनाम खेमचंद राजाराम कोष्ठी और ओआरएस। (2016) 15 एससीसी 236 [2016] 4 एससीआर 756; इंदिरा

जयसिंह वी. भारत का सर्वोच्च न्यायालय (2017) 9 एससीसी 766:

[2017] 10 एससीआर 478; मॉडर्न डेंटल कॉलेज बनाम। राज्य

एम. पी. (2016) 7 एस. सी. सी. 353 [2016] 3 एस. सी. आर. 579 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2016] 4 एससीआर 756

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[2017] 10 एससीआर 478

पैरा 5

संदर्भित किया गया है

[2016] 3 एससीआर 579

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लेखन याचिका (सिविल) No.734

2020 का

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, अरविंद दातार, शेखर नाफडे,

प्रवीण एच पारेख, मिहिर जोशी, रकेश ओझा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , पूर्विश जितेंद्र मलकान, सुश्री कृति शाह, आदित्य गुप्ता, सुश्री धरिता पी. मलकान, सुश्री दीपा गोरसिया, आलोक कुमार, सुश्री नंदिनी छाबड़ा, सुश्री भावना सरकार, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

दुष्यंत दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , निखिल गोयल, सुश्री नवीन गोयल, विनय

मैथ्यू, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय किशन कौल, जे।

1. आखिरी मौके के बाद एक और मौका। ऐसा प्रतीत होता है कि

याचिकाकर्ता, श्री यतीन नरेंद्र ओझा की ओर से क्या आग्रह किया जाना चाहिए-कई वर्षों तक खड़े रहने वाले वकील, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष यतीन नरेंद्र ओझा बनाम।

गुजरात का उच्च न्यायालय [संजय किशन कौल, जे.]

उनकी आस्था और भारत के संविधान और कानूनों के प्रति उनकी निष्ठा पर आक्षेप; यह दावा करते हुए कि उन्होंने इसके बजाय उस समय की राजनीतिक शक्तियों के साथ इसे गिरवी रखा था। इसके परिणामस्वरूप जारी किया गया 27.4.2006 पर अवमानना का नोटिस और उनकी भूमिका पर दिनांकित 30.8.2006 और 12.10.2006 के पहले के आदेशों में टिप्पणी की गई थी। हालांकि वे थे

अंततः इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को एक लंबी रस्सी देने की मांग करते हुए निष्कासित कर दिया गया। याचिकाकर्ता की माफी को एक वचन के साथ स्वीकार कर लिया गया, जो था

यतीन नरेंद्र ओझा बनाम में बताया गया है। खेमचंद राजाराम कोष्ठी और Ors.[1] 3. 21.03.2020 पर, याचिकाकर्ता ने बार के अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठतम न्यायाधीश के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा।

एसोसिएशन। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय को "गैंबलर्स डेन" कहने के तीन दिन बाद बार एसोसिएशन के वॉट्सऐप समूह में 8.6.2020 पर पत्र प्रसारित करके सभी सीमाओं का उल्लंघन किया। वाट्सऐप संदेशों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 05.06.2020 ("प्रेस") आयोजित करके प्रसारित किया गया था। सम्मेलन "), इस प्रकार स्वयं उच्च न्यायालय की संस्था के खिलाफ अनुचितता के आरोप लगाना।

अदालत ने सर्वसम्मति से पाया कि उनकी माफी वास्तविक नहीं थी। दोनों कार्यवाहियों से स्पष्ट तर्क यह है कि पहली माफी 41 दिनों के बाद आई. डी. 1 पर उठी थी, जिसके दौरान हर प्रयास किया गया था। 1 1 (2016) 15 एससीसी 236 [2021] 8 एस. सी. आर.

गुण-दोष के आधार पर आचरण को उचित ठहराने के लिए और अंतिम उपाय के रूप में माफी मांगी गई थी। इससे पहले कोई पश्चाताप या पश्चाताप नहीं था। माफी को बार-बार किए जाने वाले व्यवहार के रूप में लेबल किया गया है जो "थप्पड़ मारने, माफी मांगने और भूल जाने" के बराबर होगा। जारी किए गए बयानों के बाद से याचिकाकर्ता ने अदालत को भारी नुकसान पहुंचाया और माफी से उसकी मरम्मत नहीं की जा सकी, उसे स्वीकार नहीं किया गया। बयान पल की गर्मी में नहीं दिए गए थे, बल्कि एक लाइव के माध्यम से योजना बनाई गई थी

प्रसारण। पूर्ण न्यायालय के प्रत्येक सदस्य ने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया कि माफी केवल एक कागजी माफी थी। गाउन का विशेषाधिकार वापस ले लिया गया था।

5. हम इस सीमा पर ध्यान दे सकते हैं कि उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका की स्थिरता पर आपत्ति जताई है।

भारत। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत बनाए गए नियमों के संदर्भ में एक वरिष्ठ वकील के रूप में पदनाम एक अधिकार का निर्माण नहीं करता है। याचिकाकर्ता के पक्ष में मौलिक अधिकार। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया कि जो वापस लिया गया है वह एक 'विशेषाधिकार' है न कि एक 'अधिकार'। बहुत ही।

पदनाम प्रदान करने की प्रकृति को विशेषाधिकार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है (इंदिरा जयसिंह बनाम. भारत का सर्वोच्च न्यायालय 2) और, इस प्रकार,

जिन लोगों ने इसे प्रदान किया है, उनके द्वारा विशेषाधिकार इसे बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं बनाएगा, विशेष रूप से क्योंकि इस तरह की वापसी को फिर से इस तरह का विशेषाधिकार दिए जाने पर कोई रोक नहीं है। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिकार के अभाव में, परमादेश की कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है। 6. उच्च न्यायालय की ओर से इस बात पर जोर दिया गया है कि इस विशेषाधिकार का प्रदान करना न केवल कुछ विशिष्टताओं के अस्तित्व पर भारी पड़ता है।

कानूनी कौशल लेकिन व्यवहार का एक बहुत उच्च मानक और यदि ऐसा पूर्व अनुमान गायब हो जाता है, तो प्राधिकरण को विशेषाधिकार वापस लेने का अधिकार है। आग्रह किया गया है कि याचिकाकर्ता को अनिवार्य रिट के माध्यम से इस अधिकार को फिर से प्रदान करना वैधानिक नियमों के तहत शक्तियों का प्रयोग करना होगा।

7. डॉ. सिंघवी और अन्य वकीलों ने लंबे समय से अपने सहयोगी की सहायता के लिए आकर याचिकाकर्ता के आचरण को उचित ठहराने की कोशिश नहीं की। द.

तर्क का निर्देश यह रहा है कि इस न्यायालय को करुणा दिखानी चाहिए। पदनाम की वापसी समय द्वारा सीमित नहीं है और असमान रूप से कठोर है क्योंकि याचिकाकर्ता को खुद को भुनाने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। निर्दिष्ट समय सीमा के बाद पदनाम के लिए नए सिरे से आवेदन दाखिल करना वास्तव में एक मोचन नहीं है।

2 (2017) 9 एस. सी. सी. 766 यतीन नरेंद्र ओझा बनाम। गुजरात का उच्च न्यायालय [संजय किशन कौल, जे.]

9. पूर्ण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में भी यह प्रस्तुत किया गया था कि सीमा पर एक माफी प्रस्तुत की गई थी। हालांकि, पूर्ण न्यायालय ने राय दी थी कि भले ही माफी पहली बार में दी गई होती, फिर भी माफी स्वीकार नहीं की जाती क्योंकि यह सीमा पर प्रस्तुत नहीं की गई थी। पूर्ण न्यायालय के फैसले का परिणाम यह बताया गया है कि अवमानना की कार्यवाही उचित हो गई पूरा किया।

10. डॉ. सिंघवी ने वास्तव में पूर्ण न्यायालय के फैसले की आनुपातिकता पर प्रकाश डालने की कोशिश की, जैसा कि याचिकाकर्ता ने किया, जिसने बीच-बीच में अदालत को संबोधित किया; यहां तक कि स्वेच्छा से कहा कि वह कभी-कभी बार के अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाते हुए अपना संतुलन खो देता है और वह यह वचन देने को तैयार है कि वह कभी भी बार एसोसिएशन का चुनाव नहीं लड़ेगा। हमने उन्हें सूचित किया कि यह उनका अपना निर्णय था और हम निश्चित रूप से बार के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के उनके अधिकार को बाधित नहीं करना चाहेंगे। यह उनका और उनके वकील का कहना था कि याचिकाकर्ता ने अपना सबक सीख लिया है और इसलिए, उसे छुटकारे का अवसर दिया जाना चाहिए। पदनाम की वापसी को किसी भी वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए सबसे गंभीर सजा कहा गया था और उस ओर से, कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय [2021] 8 एस. सी. आर. के मुख्य न्यायाधीश डिक्सन की टिप्पणियाँ।

आर. वी. के एक ऐतिहासिक मामले में। आधुनिक दंत महाविद्यालय v में 'ओक्स' का उल्लेख किया गया था। M.P.³as की स्थितिः

" यदि किसी उपाय को एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज में उचित और स्पष्ट रूप से उचित ठहराया जाना है, तो किसी उपाय के हानिकारक प्रभाव जितने अधिक गंभीर होंगे, उद्देश्य उतना ही अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए।

उच्च न्यायालय के विद्वान वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का कोई वास्तविक उल्लंघन नहीं है। सवाल यह है कि यह आखिरी मौका किस तरह दिया जाना चाहिए? 12. हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता के पदनाम को अस्थायी रूप से बहाल करने की मांग करके न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा।

1.1.2022 से दो साल की अवधि। यह उच्च न्यायालय है जो देखेगा और यह सबसे अच्छा निर्णय ले सकता है कि याचिकाकर्ता बिना किसी और अवसर के एक वरिष्ठ वकील के रूप में कैसे व्यवहार करता है और खुद को कैसे संचालित करता है। यह उच्च न्यायालय को अंतिम निर्णय लेना होगा कि क्या उसका व्यवहार स्वीकार्य है, जिस मामले में उच्च न्यायालय अस्थायी रूप से उसके पद को जारी रखने या इसे स्थायी रूप से बहाल करने का निर्णय ले सकता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि दो साल की इस अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के आचरण में कोई उल्लंघन होता है, तो उच्च न्यायालय अपने अधिकार के भीतर उस अनुग्रह को वापस लेगा जो

हमने दो साल के लिए दिया है जो बदले में याचिकाकर्ता और उसके वकील द्वारा दिए गए आश्वासनों पर आधारित है।

उच्च न्यायालय को उसके आचरण में दोष खोजने का कोई कारण दिए बिना। वास्तव में, याचिकाकर्ता का भाग्य उसके अपने उच्च न्यायालय के समक्ष एक वरिष्ठ वकील के रूप में उसके उचित आचरण पर निर्भर करता है, जिसका अंतिम निर्णय होगा। हम बस इतना करना चाहते हैं कि उसे दो साल का समय देकर यह दिखाने का मौका दिया जाए कि वह वास्तव में वही है जो उसने हमें आश्वासन दिया है। हम केवल यह उम्मीद कर सकते हैं कि याचिकाकर्ता अपने आश्वासनों का पालन करे और उच्च न्यायालय या हमें अन्यथा सोचने का कोई कारण न दे। 13. हम इस आशावादी आशा के साथ उपरोक्त निर्देशों के साथ रिट याचिका का निपटारा करते हैं।

लिखित

याचिका का निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे

3 3 (2016) 7 एससीसी 353